सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान–सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– कैलाशचन्द गुर्जर (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं0 5/18

उनवान

1. द्वारकालाल पुत्र नाथूलाल उम्र 54 जाति किराड़ निवासी निवाड़ी तह0 शाहबाद जिला बारां।

–प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी फरेदुआ उपरेटी तह0 शाहबाद।
2. हरिचरण पुत्र नाथूलाल जाति किराड़ निवासी निवाड़ी तह0 शाहवाद।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 11.04.2019

प्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना– पत्र धारा अन्तर्गत 212 आरटी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी इस बाबत् प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम नागोरी पटवार क्षेत्र खटका तह0 शाहबाद में आराजी खसरा नं0 54 रकबा 3.06 बीघा स्थित है। इस आराजी को प्रार्थना– पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी विवादित आराजी के पूर्व में रामचरण कोली का खेत व प्रतिवादी क्रम–1 के खाते की क्रयशुदा भूमि खसरा नं0 55, पश्चिम में बिरधीलाल, बाबूलाल तथा सूमला भील का खेत, उत्तर में कलिया सहरिया का खेत तथा दक्षिण में रामचरण कोली का खेत स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी तथा अप्रार्थी– 2 की पुश्तैनी है जो प्रार्थी तथा अप्रार्थी क्रम– 2 को अपने पूर्वजों से स्थित रूप में विरासत से प्राप्त होकर संयुक्त रूप से खाता दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 तथा अप्रार्थीक्रम–2 का हिस्सा 2/3 निहित होकर खाता दर्ज है। प्रार्थी तथा अप्रार्थीक्रम–2 की विवादित आराजी के अलावा और भी संयुक्त कृषि भूमि स्थित है जिसका प्रार्थी तथा अप्रार्थीक्रम– 2 ने आज से करीब 20 वर्ष पूर्व पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारा कर लिया है और इस बंटवारा अनुसार उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के हिस्से में आई है जिस पर अप्रार्थीक्रम–2 की सहमति से अकेला प्रार्थी काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के लगवां पूर्वी और आराजी खसरा नं0 55 की सिवायचक भूमि स्थित थी, जिसमें से रकबा

उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां(राज०)

Scanned by CamScanner

11.00 बीघा गुलाब पुत्र चेतूराम बसोड़ निवासी शाहबाद को आवंटन हुई थी परन्तु इस आवंटनशुदा भूमि पर गुलाब ने कभी कोई काश्त नहीं की और ना ही कभी कब्जा रहा है, इसके बावजूद भी गुलाब ने उक्त आवंटनशुदा भूमि पर राजस्वकर्मियों से सांठगांठ कर खातेदारी दर्ज कराकर अपनी उक्त आवंटनशुदा भूमि दिनांक 05.07.2014 को अप्रार्थीक्रम–1 के हक में बेचान कर दी है, जबकि भूमि पर न तो कभी मूल आवंटी गुलाब का कब्जा रहा है और न ही अप्रार्थीक्रम–1 का कोई कब्जा काश्त है। उक्त विवादित आराजी सेटलमेंट पूर्व से प्रार्थी के पूर्वजों के नाम बदस्तूर दर्ज खाता चली आ रही है, जिस पर प्रार्थी के पूर्वज काबिज होकर निरन्तर काश्त करते रहे हैं और उसी स्वरूप में विवादित आराजी को प्रार्थी ने जब से होश संभाला है, काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 21.06.2018 को अप्रार्थीक्रम–1 अशोक ट्रैक्टर लेकर प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी पर पहुंचा और विवादित आराजी की पूर्वी मेढ़ पर रखे पत्थर कोट को फेंकने लगा, प्रार्थी ने उसे रोका व मना किया तो अप्रार्थीक्रम–1 कहने लगा कि मैने गुलाब बसोड़ से जमीन खरीदरकर हल्का पटवारी से क्रयशुदा जमीन की पैमाईश करवाई है और हल्का पटवारी में मेरी करीब ढाई बीघा जमीन तुम्हारे के में होना बतलाई है, इसलिए मैं तुम्हारा कोट फेंककर तुम्हारे खेत में करीब ढाई बीघा खेत को हांक कर कब्जा करूंगा। प्रार्थी ने अप्रार्थीक्रम–1 से कहा कि मेरा कोट तथा खेत पूर्वजों के समय से इसी स्वरूप में स्थित है जिस पर मैं होश संभाला है तब से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। आज मेरे खेत में तुम्हारी जमीन कहां से आई जिस पर अप्रार्थीक्रम–1 गाली गलोच करते हुये लड़ाई– झगड़ा तथा मारपीट करने आमादा हो गया। बड़ी मुश्किल से प्रार्थी ने उसे हाथा– जोड़ी कर कोट फेंकने से तथा हांकने से रोका परन्तु जाते समय अप्रार्थीक्रम–1 ने प्रार्थी को धमकी दी है कि बरसात होते ही वह प्रार्थी'की पूर्वी मेड़ का कोट फेंककर विवादित आराजी में से करीब ढाई बीघा भूमि पर जबरन फसल बोकर कब्जा करेगा। अप्रार्थीक्रम–1 के उक्त कृत्य व धमकी से प्रार्थी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। अप्रार्थीक्रम–1 प्रार्थी की खातेशुदा विवादित आराजी पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। यदि अप्रार्थीक्रम–1 ने बलपूर्वक प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा और इस कारण प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीक्रम–1 अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थीक्रम–1 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वह अपने उक्त कृत्य व धमकी में कामयाब हो जायेगा और प्रार्थी को पुश्तैनी विवादित आराजी पर से बेदखल कर देगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। आवश्यक मुकदमेबाजी में फंसकर

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

धन व समय का अपव्यय करना पड़ेगा और प्रार्थी का दावा पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा।

अतः प्रार्थना– पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर निवेदन किया है कि विवादित भूमि से अप्रार्थीक्रम–1 का कोई लेना– देना नहीं है। प्रार्थी विवादित भूमि के अलावा अप्रार्थीक्रम–1 के खाते की ग्राम नागौरी के खसरा नं0 55 की 11 बीघा भूमि में से करीब 4 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये हुये है जिसे अप्रार्थीक्रम–1 ने प्रार्थी से छोड़ने को कहा तो प्रार्थी इन्कार हो गया और वादी ने प्रातिवादीक्रम–1 के खाते की 4 बीघा भूमि को हड़पने की नियत से खसरा नं0 54 की भूमि का विवाद बताकर यह गलत दावा पेश किया है। इस तरह खसरा नं0 54 की भूमि का कोई विवाद नहीं है और वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वादी ने असत्य तथ्यों पर यह वाद प्रस्तुंत किया है जो वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। वादी द्वारा अपने वादपत्र की मद संख्या 4 में जिस तरह से प्रतिवादीक्रम–1 के खाते की भूमि खसरा नं0 55 के सम्बन्ध में अभिवादन दर्ज किये हैं उससे भी स्पष्ट होता है कि वादी की ख0 नं0 54 की भूमि का कोई विवाद नहीं है वादी खसरा नं0 54 की भूमि का विवाद बताकर प्रतिवादीक्रम 1 के खाते की भूमि खसरा नं0 55 में दखलन्दाजी करना चाहता है इस तरह वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है और वादी के पक्ष में किसी भी तरह की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो वह उसका दुरूपयोग कर प्रतिवादीक्रम 1 के खाते की खसरा नं0 55 की भूमि में दखलन्दाजी करने में कामयाब हो जावेगा। प्रतिवादीक्रम–2 विवादित भूमि का सहखातेदार है जिससे विभाजन कराये बिना वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट चलने योग्य नहीं है।

प्रकरण में बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार से है :–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रार्थी ने अपने प्रार्थना– पत्र में बताया कि खसरा नं0 54 रकबा 3.06 बीघा ग्राम नागोरी में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसकी चतुर्दिक सीमायें इस प्रकार पूर्व में रामचरण कोली का खेत व प्रतिवादीक्रम– 1 के खाते की क्रयशुदा भूमि खसरा नं0 55 पश्चिम में– बिरधीलाल बाबू तथा सूमला भील का खेत उत्तर में कलिया सहरिया का खेत दक्षिण में रामचरण कोली का खेत स्थित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रार्थी के खसरा नं0 54 रकबा 3.06 बीघा स्थित है एवं अप्रार्थीक्रम के खाते ग्राम नागोरी खसरा नं0 55 की 11.00 बीघा भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादी का खसरा नं0 अलग– अलग होने से प्रार्थी के हक में सुविधा का संतुलन होना जाहिर करता है। अतः इस बिन्दु को भी सिद्ध करने में प्रार्थी सफल रहा है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

3. अपूर्णनीय क्षति :– उपर्युक्त बिन्दुओं के विवेचन में इस बिन्दु के व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में हमारे न्यायिक मत में अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित होगा। अतः आदेश है कि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद इस कदर पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी ग्राम नागोरी खसरा नं0 54 रकबा 3.06 बीघा पर किसी भी प्रकार की मजामहत एवं मदाखलत न करें एवं मौके पर रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कैलाशचन्द्र गुर्जर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहबाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner